रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 1990/भाद्र 1, 1912
No. 353] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 1990/BHADRA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1990

सा.का.नि. 729(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिय नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 902(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1989 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 18 अक्तूबर, 1989 के पृष्ठ 1 से 6 पर प्रकाशित किया गया था जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 17 नवम्बर, 1989 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे नियम 5 को छोड़कर जो ऐसे प्रकाशन के 6 मास के पश्चात् प्रवृत्त होगा ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, उक्त नियमों के नियम 20 में, "और गुड़" शब्दों के स्थान पर जहां वे आते हैं, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"गुड़, काफी और चाय"

3. नियम 42 में, नियम (यययय) (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यययय)(2)–खाद्य मधुकारक के रूप में विपणित किए गए एसपर्टेम (मैथिल एस्टर) के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा; अर्थात् :—

(क) मधुमेह के रोगियों के लिए कृत्रिम मधुकारक ;

(ख) गर्भवती स्त्रियों और फेनिल-कीटनमेहियों के लिए नहीं।"

4. उक्त नियमों के नियम 62 में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम फैरोसाइनाइड, को अकेले या संयोजन के साथ जिसे फैरोसाइनाइड के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, 10 मिलिग्राम/किलोग्राम से अनधिक मात्रा में साधारण लवण, आयोडीनयुक्त लवण और लोह प्रबलीकृत लवण में क्रिस्टल रूपांतरकों और प्रतिपिण्डकों (ऐंटी केकिंग एजेंट) के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

5. उक्त नियमों के परिशिष्ट 'ख' में,—

(क) मद क. 16.14 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"क : 16.15—फल जैली से ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो जल छानकर या उसके बिना फल या उसके टुकड़ों या अन्य फलों के भागों को उबालकर, छना हुआ और सारसत्त फल के निष्कर्षण, को चीनी के साथ मिश्रित मिश्रण करके और को ऐसी अवस्था तक उबालकर जिसे कि ठंडा होने पर श्लेषीकरण आ जाएं। जैली में चीनी डैक्सट्रोज, इन्वर्ट चीनी या द्रव ग्लूकोज, मधु, फल सार और रुचिकारक, एस्कार्बिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल, पेक्टिन, अनुमत प्राकृतिक रुचिकारक, अनुमत रंग और परिरक्षी होंगे। यह कृत्रिम मधु-कारकों से मुक्त होगा। इसमें किण्वन के कोई चिह्न नहीं होंगे। इसमें सारसत्त फल का कम से कम 45 प्रतिशत होगा। कुल विलय ठोस भार 65 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यह बाह्य पादक सामग्री से मुक्त होगा।

क: 16.16—अचार से ऐसी निर्मित अभिप्रेत है जो अच्छे साफ कच्चे या पर्याप्त रूप से पके फलों या वनस्पतियों या दोनों के सम्मिश्रण से बनाई गई हो और कीटक्षति या फफूंदी से मुक्त हो और जो लवण, अम्ल, चीनी या तीनों के किसी सम्मिश्रण में परिरक्षित हो। अचार में प्याज, लहसून अदरक, चीनी, गुड़, खाद्य तेल, मसाला, सारसत्त मसाला या हल्दी का तेल, काली मिर्च, मिर्च, फेनुग्रीक, सरसों या उसका चूरा, वनस्पति अन्तर्विस्तुएं, एसफाइटाइड बांगल ग्राम, नीबरस, लेमन जूस, हरी मिर्च, सिरका या ऐसीटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सूखे फल होंगे जिसके अन्तर्गत रेजिन और गिरीदार फल भी हैं।

अचार का सम्मिश्रण इस प्रकार होगा :

(i) सिटरस या लवण जल में अचार :

समाविष्ट करने वाले द्रव में लवण की प्रतिशतता, जब उसका उपयोग बड़े परिक्षणकर्ता के रूप में किया जाए तो 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा। जब अचार को सट्रिक रस में पैक किया गया हो तो समाविष्ट करने वाले द्रव की अम्लता सिट्रिक अम्ल के रूप में परिगणित 1.2 प्रतिशत से कम नहीं होगी। विलय कैल्सियम लवण और अनुमत परिरक्षी का प्रयोग इस प्रकार के अचारों में किया जाएगा। अचार ताम्र, फिटकरी और खनिज अम्ल के योज्य लवण से मुक्त होगा।

(ii) तेल में अचार : अंतिम उत्पाद में फल या वनस्पति प्रतिशतता 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अचार तेल से आवृत होगा जिससे अचार की अन्तर्वस्तु के ऊपर कम से कम 0.5 ग्राम की तेल की एक परत बन जाए अथवा अचार में तेल की प्रतिशतता 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अचार, योज्य ताम्र, फिटकरी और खनिज अम्ल से मुक्त होगा। इसमें तोरिया (राई), अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, समदिश मसाला आदि होंगे। अचार में अनुमत परिरक्षी का प्रयोग किया जाएगा।

(iii) सिरके में अचार : सिरके में अचार से ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जो अच्छे, साफ, कच्चे या पर्याप्त रूप से पके हुए ऐसे फलों या वनस्पति से बनाई गई हो जो कीट क्षति या फफूंद से मुक्त हो, जो लवण जल या सूखे लवण में अथवा लवणित और शुष्क स्टेक में प्राकृतिक किण्वन के साथ या उसके बिना संसाधित की गई हो। इसमें सिरका, एसिटिक अम्ल होगा और तरल भाग में अम्ल की प्रतिशतता एसिटिक अम्ल के रूप में परिगणित 2 प्रतिशत भार से कम नहीं होगी। इसमें चीनी, संपूर्ण या पिसे हुए या अर्द्ध पिसे हुए मसाले, शुष्क फल, हरी और लाल मिर्च, अदरक आदि होंगे। शुष्क फल, सिट्रिक अम्ल भी इस प्रकार के अचारों में मिलाए जाएंगे सारसत्त मसाला या सार का भी प्रयोग किया जाता है। उत्पाद का कर्षण भार 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा। अचार योज्य ताम्र, खनिज अम्ल, फिटकरी या योज्य कोलतार रंग से मुक्त होगा। इसमें किण्वन के कोई चिह्न नहीं होंगे। उत्पाद तलछट से मुक्त होगा। अचारों में अनुमत परिरक्षी का प्रयोग किया जा सकेगा।"

[सं. पी. 15014/5/88-पी एच (एफ व एन)]
बलबीर सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 प्रथम बार भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 में का. नि. आ. 2106, तारीख 12-9-55 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. का. नि. आ. 1202 दिनांक 26-5-56
2. का. नि. आ. 1687 दिनांक 28-7-56
3. का. नि. आ. 2213 दिनांक 28-9-56 (असाधारण)
4. का. नि. आ. 2755 दिनांक 24-11-56

उसमें किए गए और संशोधन भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में इस प्रकार प्रकाशित किए गए थे :—

5. सा. का. नि. 514 दिनांक 28-6-58
6. सा. का. नि. 1211 दिनांक 20-12-58
7. सा. का. नि. 425 दिनांक 4-4-60
8. सा. का. नि. 169 दिनांक 11-2-61
9. सा. का. नि. 1134 दिनांक 16-9-61
10. सा. का. नि. 1340 दिनांक 4-11-61
11. सा. का. नि. 1561 दिनांक 24-11-62
12. सा. का. नि. 1589 दिनांक 22-10-64
13. सा. का. नि. 1814 दिनांक 11-12-65
14. सा. का. नि. 74 दिनांक 8-1-66
15. सा. का. नि. 382 दिनांक 19-3-66
16. सा. का. नि. 1256 दिनांक 26-8-67
17. सा. का. नि. 1533 दिनांक 24-8-68
18. सा. का. नि. 2163 दिनांक 14-12-68 (शुद्धिपत्र)
19. सा. का. नि. 532 दिनांक 8-3-69
20. सा. का. नि. 1764 दिनांक 26-7-69 (शुद्धिपत्र)
21. सा. का. नि. 2068 दिनांक 30-8-69
22. सा. का. नि. 1808 दिनांक 24-10-70
23. सा. का. नि. 938 दिनांक 12-6-71
24. सा. का. नि. 992 दिनांक 3-7-71
25. सा. का. नि. 553 दिनांक 6-5-72
26. सा. का. नि. 436(अ) दिनांक 10-10-72

27. सा.का.नि. 133 दिनांक 10-2-73
28 सा.का नि. 205 दिनांक 23-2-74
29. सा.का.नि. 850 दिनांक 12-7-75
30. सा.का.नि. 508(अ) दिनांक 27-9-75
31. सा.का.नि. 63(अ) दिनांक 5-2-76
32. सा.का.नि. 754 दिनांक 29-5-76
33. सा.का.नि. 856 दिनांक 12-6-1976
34. सा.का.नि. 1417 दिनांक 2-10-76
35. सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 4-1-77
36. सा.का.नि. 18(अ) दिनांक 15-1-77
37. सा.का.नि. 651(अ) दिनांक 20-10-77
38. सा.का.नि. 732(अ) दिनांक 5-12-77
39. सा.का.नि. 775(अ) दिनांक 27-12-77
40. सा.का.नि. 36(अ) दिनांक 21-1-78
41. सा.का.नि. 70(अ) दिनांक 8-2-78
42. सा.का.नि. 238(अ) दिनांक 20-4-78
43. सा.का.नि. 393(अ) दिनांक 4-8-78
44.सा.नि. 590(अ) दिनांक 23-12-78
45. सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 31-1-79
46. का नि.आ. 142(अ) दिनांक 16-3-79 (शुद्धिपत्र)
47. सा.का.नि. 231(अ) दिनांक 6-4-79
48. सा.का.नि. 423 दिनांक 30-6-79 (शुद्धिपत्र)
49. सा.का.नि. 1042 दिनांक 11-8-79 (शुद्धिपत्र)
50. सा.का.नि. 1210 दिनांक 29-9-79 (शुद्धिपत्र)
51. सा.का.नि. 19(अ) दिनांक 28-1-80
52. सा.का.नि. 243 दिनांक 1-3-80
53. सा.का.नि. 244 दिनांक 1-3-80
54. सा.का.नि. 996 दिनांक 8-9-80 (शुद्धिपत्र)
55. सा.का.नि. 579(अ) दिनांक 13-10-80
56. सा.का.नि. 652(अ) दिनांक 14-11-80
57. सा.का.नि. 710(अ) दिनांक 22-12-80
58. सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 16-1-80
59. सा.का.नि. 205(अ) दिनांक 25-3-81 (शुद्धिपत्र)
60. सा.का.नि. 290(अ) दिनांक 13-4-81
61. सा.का.नि. 444 दिनांक 2-5-81 (शुद्धिपत्र)
62. सा.का.नि. 503(अ) दिनांक 1-9-81
63. सा.का.नि. 891 दिनांक 3-10-81 (शुद्धिपत्र)
64. सा.का.नि. 1056 दि 5-12-81 (शुद्धिपत्र)
65. सा.का.नि. 80 दिनांक 23-1-82 (शुद्धिपत्र)
66. सा.का.नि. 44(अ) दिनांक 5-2-82
67. सा.का.नि. 57(अ) दिनांक 11-2-82
68. सा.का.नि. 245(अ) दिनांक 11-3-82
69. सा.का.नि. 307(अ) दिनांक 3-4-82 (शुद्धिपत्र)
70. सा.का.नि. 388, दिनांक 17-4-82 (शुद्धिपत्र)
71. सा.का.नि. 422(अ) दिनांक 24-5-82
72. सा.का.नि 476(अ) दिनांक 29-4-82
73. सा.का.नि. 504(अ)दिनांक 20-7-82 (शुद्धिपत्र)
74. सा.का.नि. 753(अ) दिनांक 11-12-82 (शुद्धिपत्र)
75. सा.का.नि. 109(अ) दिनांक 26-2-83
76 सा.का.नि. 249(अ) दिनांक 8-3-83
77. सा.का.नि. 269(अ) दिनांक 16-3-83
78. सा.का.नि. 283(अ) दिनांक 26-3-83
79. सा.का.नि. 329(अ) दिनांक 14-4-83 (शुद्धिपत्र)
80. सा.का.नि. 539(अ) दिनांक 1-7-83 (शुद्धिपत्र)
81. सा.का.नि. 634 दिनांक 9-8-83 (शुद्धिपत्र)
82. सा.का.नि. 749(अ) दिनांक 8-10-83 (शुद्धिपत्र)
83. सा.का.नि. 790 (अ) दिनांक 10-10-83
84. सा.का.नि. 803(अ) दिनांक 27-10-83
85. सा.का.नि. 816(अ) दिनांक 3-11-83
86. सा.का.नि. 829(अ) दिनांक 7-11-83
87. सा.का.नि. 848(अ) दिनांक 19-11-83
88. सा.का.नि 893(अ) दिनांक 17-12-83(शुद्धिपत्र)
89. सा.का.नि. 113, दिनांक 20-1-84 (शुद्धिपत्र)
90. सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 9-7-84
91. सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 18-8-84 (शुद्धिपत्र)
92. सा.का.नि. 744(अ) दिनांक 27-10-84
93. सा.का.नि. 764 (अ) दिनांक 16-11-84
94. सा.का.नि. 3(अ) दिनांक 1-1-85
95. सा.का.नि. 11 (अ) दिनांक 4-1-85
96. सा.का.नि. 142(अ) दिनांक 8-3-85 (शुद्धिपत्र)
97. सा.का.नि. 293(अ) दिनांक 23-3-85
98. सा.का.नि. 368(अ) दिनांक 18-4-85 (शुद्धिपत्र)
99. सा.का.नि. 385(अ) दिनांक 29-4-85 (शुद्धिपत्र)
100. सा.का.नि. 543(अ) दिनांक 2-7-85
101. सा.का.नि. 550(अ) दिनांक 4-7-85
102. सा.का.नि. 587(अ) दिनांक 17-7-85 (शुद्धिपत्र)
103. सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 24-7-85
104. सा.का.नि. 745(अ) दिनांक 20-9-85
105. सा.का.नि. 746(अ) दिनांक 20-9-85
105. सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 23-9-85 (शुद्धिपत्र)
107. सा.का.नि. 892(अ) दिनांक 6-12-85
108. सा.का.नि. 903 (अ) दिनांक 17-12-85 (शुद्धिपत्र)
109. सा.का.नि. 73(अ) दिनांक 29-1-86
110. सा.का.नि. 507(अ) दिनांक 19-3-86
111. सा.का.नि. 724(अ) दिनांक 29-4-86 (शुद्धिपत्र)
112. सा.का.नि. 851(अ) दिनांक 13-6-86
113. सा.का.नि. 852(अ) दिनांक 13-6-86
114. सा.का.नि. 910(अ) दिनांक 27-6-86
115. सा.का.नि. 939(अ) दिनांक 9-7-86 (शुद्धिपत्र)
116. सा.का.नि. 1002(अ) दिनांक 18-8-86 (शुद्धिपत्र)
117. सा.का.नि. 1149(अ) दिनांक 15-10-86 (शुद्धिपत्र)
118. सा.का.नि. 1207(अ) दिनांक 18-11-86 (शुद्धिपत्र)
119. सा.का.नि. 1228(अ) दिनांक 27-11-86
120. सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 5-1-87
121. सा.का.नि. 28(अ) दिनांक 13-1-87 (शुद्धिपत्र)
122. सा.का.नि. 270(अ) दिनांक 2-3-87

123. सा.का.नि. 344(अ) दिनांक 31-3-87 (शुद्धिपत्र)
124. सा.का.नि. 422 (अ) दिनांक 29-4-87 (शुद्धिपत्र)
125. सा.का.नि. 449(अ) दिनांक 29-4-87 (शुद्धिपत्र)
126. सा. का. नि 500(अ) दिनांक 15-5-87 (शुद्धिपत्र)
127. सा. का. नि. 569(अ) दिनांक 12-6-87 (शुद्धिपत्र)
128. सा. का. नि. 840(अ) दिनांक 6-10-87
129. सा. का. नि. 900(अ) दिनांक 10-11-87
130. सा. का. नि. 916(अ) दिनांक 17-11-87
131 सा. का. नि. 917(अ) दिनांक 17-11-87
132. सा.का.नि० 918 (अ) दिनांक 17-11-87 (शुद्धिपत्र)
133. सा. का. नि. 72(अ) दिनांक 3-2-88 (शुद्धिपत्र)
134. सा. का. नि. 7 (अ) दिनांक 3-2-88 (शुद्धिपत्र)
135. सा. का. नि. 366(अ) दिनांक 23-3-88 (शुद्धिपत्र)
136. सा. का. नि. 367(अ) दिनांक 23-3-88
137. सा. का. नि. 437(अ) दिनांक 8-4-88
138 सा.का.नि. 436(अ) दिनांक 8-4-88
139. सा.का.नि. 454(अ) दिनांक 8-4-88
140. सा का.नि 618(अ) दिनांक 16-5-88
141. सा.का.नि. 855(अ) दिनांक 12-8-88
142. सा.का.नि 856(अ) दिनांक 12-8-88
143. सा .का.नि. 924(अ) दिनांक 13-9-88 (शुद्धिपत्र)
144. सा.का नि. 1061(अ) दिनांक 17-11-88
145. सा.का.नि. 1157(अ) दिनांक 9-12-88
146. सा. का.नि. 42(अ) दिनांक 20-1-89 (शुद्धिपत्र)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Dpartment of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 1990

G.S.R. 729 (E).—Whereas certain draft rules further to amend Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) G.S.R. No. 902(E), dated the 18th October, 1989 in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 18th October, 1989 at pages 1 to 6, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 17th November, 1989;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act the Censal Government after consultation with the Centra Committee for Food Standards hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules 1955 namely:

RULES

1. (1) These rules may be called Prevention of Food Adulteration (Fifth Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except rule 5 which shall come into force after six months of such publication.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 20 of the said rules, for the words "and gur" wherever occurring, the following words shall be substituted, namely :

"gur' prepared coffee and prepared tea".

3. In rule 42, for rule (ZZZ) (2), the following shall be substituted, namely :—

"(ZZZ)(2) —Every package of Aspartame (methylester) marketed as table top sweetener shall carry the following label, namely :—

(a) Artificial Sweetener for diabeties;

(b) Not for pregnant women and phenylkcto nuries".

4. In rule 62 of the said rules, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :

"Provided further that calcium, potassium or sodium ferrocyanide may be used as crystal modifiers and anti-caking agent in common salt, iodised salt and iron fortified salt in quantity not exceeding 10 mg/kg singly or in combination expressed as ferrocyanide.'

5. In Appendix 'B' of the said rules,—

(a) after item A.16.14, the following item shall be inserted, famely :—

"A.16.15—Fruit Jelly means he product prepared be boiling the fruit or its pieces or other fruit parts with or without water, expressing and straining, mixing the strined fruit extract with sugar and boiling the mixture to such a consistency that gellatinisation takes place on cooling.

Jelly may contain sugar, dextrose, invert sugar or liquid glucose, honey, fruit essence and flavours, as corbic acid, citric acids, pectin, permitted natural flavours, permitted colours and preservatives. It shall be free from artificial sweetening agents; it shall show no sign of fermentation. It shall not conain less than 45 per cent of the fruit extract. Total soluble solids shall not be less than 65 per cent by weight It shall be free from extraneous plant materials.

A.16.16—Pickle means the preparation made from sound, clean, raw or sufficiently nature fruits or vegetables or a combination of both free from insect damage or fungus attack preserved in salt acid sugar or any combination of the three. The pickle may contain onion garlic ginger sugar jaggery edible oils, spices, spice extract or oil of turmeric, pepper, chillies, fenugreek, mustardseed or powder, vegetable ingredients asafoetida, bengal gram, lime juice, lemon juice, green chillies, vinegar or acetic acid, citric acid, dry fruit including resigns and fruit nuts.

Combination of pickles may be ;

(i) Pickles in citrus juice or brine : The percentage of salt in covering liquid shall not be less than 10 per cent when salt is used as major preserving agent. When packed in citrus juice, acidity of the covering liquid shall be not less than 1.2 per cent calculated as citric acid. Soluble calcium salt and permitted preservatives may be used in such type of pickles. Pickles shall be free from added salts of copper, alum and mineral acids.

(ii) Pickles in oil : The fruit or vegetable percentage in the final product shall not be less than 60 per cent. The pickle shall be covered with oil so as to form a layer of not less than 0.5 cm above the contents or the percentage of oil in pickle shall be not less than 10 per cent.

The pickle shall be free from added copper, alum and mineral acid. It may contain rapeseed (rai), ajwain, saunf, black pepper and like spices, etc. Permitted preservative may be used in pickles.

(iii) Pickles in vinegar : Pickles in vinegar mean the preparation from sound, clean, raw or sufficiently matured fruits or vegetables free from insect damage or fungus attack, which have been cured in brine or dry salt or salted and dried stack with or without natural fermentation. It shall contain vinegar or acetic acid and the percentage of acid in the fluid portion shall not be less than 2 per cent w/w calculated as acetic acid. It may contain sugar, whole or ground or semi-ground, spices, dried fruits, green and red chillies, ginger etc., dry fruit. Citric acid may also be added in such type of pickles. Spice extract or essences may also be used. The drained weight of the product shall not be less than 60 per cent. The pickles shall be free from added copper, mine acid, alum or added coaltar colours and shall show no sign of fermentation. The product shall be reasonably free from sediments. Permitted preservatives may be used in pickles."

[No. P. 15014/5/88-PH(F&N)]

BALBIR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Prevention of Food Adulteration rule 1955 were first published in Part II Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated 12-9-55 and subsequently amended as follows by :

1. S.R.O. 1202 dt. 26-5-56
2. S.R.O. 1687 dt. 28-7-56
3. S.R.O. 2213 dt. 28-9-56 (Extraordinary)
4. S.R.O. 2755 dt. 24-11-56

The further amendments were pubilshed in Part II, Section 3 sub-section (i) of Gazette of India as follows by :

5. G.S.R. 514 dt. 28-6-58
6. G.S.R. 1211 dt. 20-12-58
7. G.S.R. 425 dt. 4-4-60
8. G.S.R. 169 dt. 11-2-61
9. G.S.R. 1134 dt. 16-9-61
10. G.S.R. 1340 dt. 4-11-61
11. G.S.R. 1564 dt. 24-11-62
12. G.S.R. 1589 dt. 22-10-64
13. G.S.R. 1814 dt. 11-12-65
14. G.S.R. 74 dt. 8-1-66
15. G.S.R. 382 dt. 19-3-66
16. G.S.R. 1256 dt. 26-8-67
17. G.S.R. 1533 dt. 24-8-68
18. G.S.R. 2163 dt. 14-12-68 (Corrigendum)
19. G.S.R. 532 dt. 8-3-69
20. G.S.R. 1764 dt. 26-7-69 (Corrigendum)
21. G.S.R. 2068 dt. 30-8-69
22. G.S.R. 1808 dt. 24-10-70
23. G.S.R. 938 dt. 12-6-71
24. G.S.R. 992 dt. 3-7-71
25. G.S.R. 553 dt. 6-5-72
26. G.S.R. 436 (E) dt. 10-10-72
27. G.S.R. 133 dt. 10-2-73
28. G.S.R. 205 dt. 23-2-74
29. G.S.R. 850 dt. 12-7-75
30. G.S.R. 508 (E) dt. 27-9-75
31. G.S.R. 63(E) dt. 5-2-76
32. G.S.R. 754 dt. 29-5-76
33. G.S.R. 755 dt. 29-5-76
34. G.S.R. 856 dt. 12-6-76
35. G.S.R. 1417 dt. 2-10-76
36. G.S.R. 4(E) dt. 4-1-77
37. G.S.R. 18(E) dt. 15-1-77
38. G.S.R. 651(E) dt. 20-10-77
39. G.S.R. 732(E) dt. 5-12-77
40. G.S.R. 775(E) dt. 27-12-77
41. G.S.R. 36(E) dt. 21-1-78
42. G.S.R. 70(E) dt. 8-2-78

43. G.S.R. 238 (E) dt. 20-4-78
44. G.S.R. 393(E) dt. 4-8-78
45. G.S.R. 590(E) dt. 23-12-78
46. G.S.R. 55(E) dt. 31-1-79
47. S.O. 142(E) dt. 16-3-79 (Corrigendum)
48. G.S.R. 231(E), dt. 6-4-79
49. G.S.R. 1043 dt. 11-8-79 (Corrigendum)
50. G.S.R. 1210 dt. 29-9-79(Corrigendum)
51. G.S.R. 19(E) dt. 28-1-80
52. G.S.R. 243 dt. 1-3-80
53. G.S.R. 244 dt. 1-3-80
54. G.S.R. 996 dt. 27-9-80 (Corrigendum)
55. G.S.R. 579 (E) dt. 13-10-80 (Corrigendum)
56. G.S.R. 652(E) dt. 14-11-80
57. G.S.R. 710 (E) dt. 22-12-80
58. G.S.R. 23 (E) dt. 16-1-81
59. G.S.R. 205(E) dt. 25-3-81 (Corrigendum)
60. G.S.R. 290 (E) dt. 13-4-81
61. G.S.R. 444 dt. 2-5-81 (Corrigendum)
62. G.S.R. 503 (E) dt. 1-9-81
63. G.S.R. 891 dt. 3-10-81 (Corrigendum)
64. G.S.R. 1056 dt. 5-12-81 (Corrigendum)
65. G.S.R. 80 dt. 23-1-82 (Corrigendum)
66. G.S.R. 44(E) dt. 5-2-82
67. G.S.R. 57(E) dt. 11-2-82
68. G.S.R. 245(E) dt. 11-3-82
69. G.S.R. 307(E) dt. 3-4-82(Corrigendum)
70. G.S.R. 386 dt. 17-4-82 (Corrigendum)
71. G.S.R. 422(E) dt. 24-5-82
72. G.S.R. 476(E) dt. 29-6-82
73. G.S.R. 504(E) dt. 20-7-82 (Corrigendum)
74. G.S.R. 753(E) dt. 11-12-82 (Corrigendum)
75. G.S.R. 109(E) dt. 26-2-83
76. G.S.R. 249(E) dt. 8-3-83
77. G.S.R. 268 (E) dt. 16-3-83
78. G.S.R. 283(E) dt. 26-3-83
79. G.S.R. 329(E) dt. 14-4-83 (Corrigendum)
80. G.S.R. 539(E) dt. 1-7-83 (Corrigendum)
81. G.S.R. 634 dt. 9-8-83 (Corrigendum)
82. G.S.R. 743 dt. 8-10-83 (Corrigendum)
83. G.S.R. 790(E) dt. 10-10-83
84. G.S.R. 803(E) dt. 27-10-83
85. G.S.R. 816(E) dt. 3-11-83
86. G.S.R. 829(E) dt. 7-11-83
87. G.S.R. 848(E) dt. 19-11-83
88. G.S.R. 893(E) dt. 17-12-83 (Corrigendum)
89. G.S.R. 113 dt. 20-1-84 (Corrigendum)
90. G.S.R. 500(E) dt. 9-7-84
91. G.S.R. 612(E) dt. 18-8-84 (Corrigendum)
92. G.S.R. 744(E) dt. 27-10 84
93. G.S.R. 764(E) dt. 15-11-84
94. G.S.R. 3(E) dt. 1-1-85
95. G.S.R. 11(E) dt. 4-1-85
96. G.S.R. 142(E) dt. 8-3-85 (Corrigendum)
97. G.S.R. 293(E) dt. 23-3-85
98. G.S.R. 363(E) dt. 18-4-85 (Corrigendum)
99. G.S.R. 385(E) dt. 29-4-85 (Corrigendum)
100. G.S.R. 543(E) dt. 2-7-85
101. G.S.R. 550(E) dt. 4-7-85
102. G.S.R. 587(E) dt. 17-7-85 (Corrigendum)
103. G.S.R. 605(E) dt. 24-7-85
104. G.S.R. 745(E) dt. 20-9-85
105. G.S.R. 746(E) dt. 20-9-85
106. G.S.R. 748(E) dt. 23-9-85 (Corrigendum)
107. G.S.R. 892(E) dt. 6-12-85
108. G.S.R. 903(E) dt. 17-12-85 (Corrigendum)
109. G.S.R. 73(E) dt. 29-1-86
110. G.S.R. 507(E) dt. 19-3-86
111. G.S.R. 724(E) dt. 29-4-86 (Corrigendum)
112. G.S.R. 851(E) dt. 13-6-86
113. G.S.R. 852(E) dt. 13-6-86
114. G.S.R. 910(E) dt. 27-6-86
115. G.S.R. 939(E) dt. 9-7-86 (Corrigendum)
116. G.S.R. 1008 (E) dt 18-8-86 (Corrigendum)
117. G.S.R. 1149(E) dt 15-10-86 (Corrigendum)
118. G.S.R. 1207(E) dt. 18-11-86 (Corrigendum)
119. G.S.R. 1228(E) dt. 27-11-86
120. G.S.R. 12(E) dt. 5-1-87
121. G.S.R. 28(E) dt. 13-1-87 (Corrigendum)
122. G.S.R. 270(E) dt. 2-3-87
123. G.S.R. 344(E) dt 31-3-87 (Corrigendum)
124. G.S.R. 422(E) dt. 29-4-87 (Corrigendum)
125. G.S.R. 449(E) dt. 29-4-87 (Corrigendum)
126. G S R. 500(E) dt. 15-5-87 (Corrigendum)
127. G.S.R. 569(E) dt. 12-6-87 (Corrigendum)

128. G.S.R. 840(E) dt. 6-10-87
129. G.S.R. 900(E) dt. 10-11-87
130. G.S.R. 916(E) dt. 17-11-87
131. G.S.R. 917(E) dt. 17-11-87
132. G.S.R. 918(E) dt. 17-11-87 (Corrigendum)
133. G.S.R. 72(E) dt. 3-2-88 (Corrigendum)
134. G.S.R. 73(E) dt. 3-2-88 (Corrigendum)
135. G.S.R. 366(E) dt. 23-3-88 (Corrigendum)
136. G.S.R. 367(E) dt. 23-3-88
137 G.S.R. 437(E) dt 8-4-88
138. G.S.R. 436(E) dt. 8-4-88
139. G.S.R. 454(E) dt. 8-4-88
140. G.S.R. 618(E) dt. 16-5-88
141. G.S.R. 855(E) dt. 12-8-88
142. G.S.R. 856(E) dt. 12-8-88
143. G.S.R. 924(E) dt. 13-9-88 (Corrigendum)
144. G.S.R. 1081(E) dt. 17-11-88
145. G.S.R. 1157(E) dt. 9-12-88
146. G.S.R. 42(E) dt. 20-1-89 (Corrigendum)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.